

क्योंकि चाकीदार ही चोर है!!!

संवाद के अधिकारियों ने ही लगाया लाखों रुपयों का चूना!!!

नेगोशिएशन में रेट कम करने की जगह बढ़ा दी रेट!!!

राजस्थान संवाद में भ्रष्टाचार चरम पर!!!

भाग-5

एक कागज ने खोली भ्रष्टाचार की पाल!!!

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 2018 में राजस्थान संवाद द्वारा प्रिंट मीडिया में दिये जाने वाले विज्ञापनों की डिजाइन, प्रॉडक्शन और प्रसारण की सेवाओं के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा संख्या 915 दिनांक 24/08/2018 आमंत्रित की गयी। बिडिंग डोक्यूमेंट के अनुसार यह टेंडर 5 करोड़ का था (जानकारों के अनुसार इस टेंडर को बाद में 20-25 करोड़ तक पहुंचा दिया गया)। निविदा दाखिल करने की अंतिम तिथि 03/09/2018 थी। इस निविदा की टेक्निकल बिड 04/09/2018 एवं वित्तीय बिड 24/09/2018 को खोली गयी। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था जैसा अन्य निविदाओं में होता आया है। लेकिन यहाँ से कहानी में मोड़ आता है, इस संबंध में हमें प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार;

1. इस निविदा के वित्तीय प्रस्ताव एजेंसियों के प्रतिनिधियों एवं कमिटी के सदस्यों के समक्ष दिनांक 24/09/2018 को खोली गयी। इस निविदा के संबंध में 20 एजेंसियां तकनीकी रूप से सक्षम पायी गयी।
2. मै. चंद्रा ट्रायो सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा दिनांक 03/09/2018 को पत्र प्रेषित कर आवेदन किया कि उनके द्वारा वित्तीय प्रस्ताव के संदर्भ में त्रुटिवश दर 6% के स्थान पर 5% हो गयी है, जिसे ई पोर्टल पर पुनः ठीक नहीं किया जा सकता है। अतः उनकी दर को 5% के स्थान पर 6% मानी जाये।
3. इसी प्रकार मै. एस.जी. एडवर्डटार्जिंग द्वारा दिनांक 18/09/2018 एवं मै. आनवर्ड एडवर्डटार्जिंग के द्वारा दिनांक 20/09/2018 को पत्र प्रेषित कर दर (4.9% एवं 5% क्रमशः) भुलवश अंकित करने की बात कही गयी।
4. इस प्रकार दिनांक 24/09/2018 को खोले गए वित्तीय प्रस्ताव में 6% दर न्यूनतम पायी गयी।
5. राजस्थान संवाद की प्रिंट मीडिया (सजावटी) विज्ञापन संबंधी कार्य की दर के निर्धारण हेतु दिनांक 20/09/2018 को गठित समिति द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों के आधार पर न्यूनतम औसत दर 7.99 का आंकलन किया गया।

आरटीपीपी एक्ट 2012 में गलती की सजा टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना है, ना कि उसकी गलती को सुधारने का मौका देकर उपकृत करना।

टेंडर प्रक्रियाओं में अधिकतम पारदर्शिता के लिए ही राजस्थान सरकार द्वारा आरटीपीपी एक्ट 2012 अस्तित्व में लाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचारियों के कृत्यों को देखकर लगता नहीं है कि इस एक्ट का कोई औचित्य रह गया है। इस निविदा में न केवल जिम्मेदारों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर फर्म विशेष को फायदा पहुंचाया गया बल्कि जम कर राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया गया। आरटीपीपी एक्ट 2012 में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि तकनीकी और वित्तीय बीड्स में एक बार नामांकन करने के बाद उनमें किसी प्रकार काँट-छाँट करना, हेराफेरी की जा सके। और क्या यह संभव है कि यह गलती एक फर्म से ना होकर तीन-तीन फर्मों से हो? इतना ही नहीं जिन जिम्मेदारों पर राजस्व हित में इन एजेंसियों से नेगोशिएशन कर रेट और कम करवाने का दारोमदार था, वही जिम्मेदार इन एजेंसियों से नेगोशिएशन नहीं कर, न्यूनतम दर (जिसे फर्मों की गलतियों के बाद 6% स्वीकार किया जाना था) को भी 7.99% तक ले गए। सवाल यह है कि क्या राजस्थान संवाद के अधिकारी इतने भोले हैं कि उन्हें किसी की नियत का पता ही नहीं लगता या फिर इतने शांतिर की अपने फायदे के लिए सरकारी खजाने को भी चुना लगाने से नहीं चूकते। बहरहाल यह सरकार और जांच एजेंसियों को तय करना है कि इस मामले में आगे क्या किया जाए।



268

राजस्थान संवाद कार्यालय टिप्पणी

आज दिनांक 24.09.2018 को NIB No. 915 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा प्रिन्ट मीडिया (सजावटी) विज्ञापन एमोनन्ट के त्रिये तकनीकी दरसावेजी/ डिजाईन/प्रस्तुतीकरण के परघात प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन के वेनल में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई एजेन्सियों से प्राप्त अनुमोदन के परघात वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किये गये।

वित्तीय प्रस्ताव एजेन्सियों के प्राणिये एव कमेट्री के सदस्यों के समक्ष खोले गये। जिसका विवरण सलग्न है :-

1. तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई समस्त 20 एजेन्सियों के वित्तीय प्रस्ताव राजस्थान संवाद को प्राप्त हुए हैं।
2. मैसर्स चन्द्रा टायो सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा दिनांक 03.09.2018 को पत्र प्रेषित कर आवेदन किया गया है कि उनके द्वारा त्रुटिवश दर 6% के स्थान पर 5% हो गई है, जिसे ई-पोर्टल पर पुनः ठीक नहीं किया जा सकता है। अतः उनकी दर को 5% के स्थान पर 6% माना जायें।
3. इसी प्रकार मैसर्स एस.जी. एडवर्टाइजिंग द्वारा दिनांक 18.09.2018 एवं मैसर्स ऑनवर्ड एडवर्टाइजिंग के द्वारा दिनांक 20.09.2018 को पत्र प्रेषित कर दर (4.90% एवं 5% क्रमशः) राजस्थान संवाद की मानते हुए भूलवश अंकित करने की बात कही गई है।
4. इस प्रकार दिनांक 24.09.2018 को खोले गये वित्तीय प्रस्ताव में 6% दर न्यूनतम पाई गई है।
5. राजस्थान संवाद की प्रिन्ट मीडिया (सजावटी) विज्ञापन संबंधी कार्य की दर के निधारण हेतु दिनांक 20.09.2018 को गठित समिति द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों के आधार पर न्यूनतम औसत (Average) दर 7.99% का आंफलन किया गया है।

एजेन्सियों से प्राप्त दरों के अधार पर नेगोशियेसन हेतु दिनांक 25.09.2018 को अपराह्न 1.00 बजे समस्त एजेन्सी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

संवाद की वित्तीय
सलाहकार श्रीमति
अनुपमा शर्मा के
हस्ताक्षर

डीआईपीआर के उप
निदेशक(विज्ञापन)श्री
रामकिशन तंवर के
हस्ताक्षर

(ED/FA)

संवाद के वरिष्ठ
प्रबन्धक श्री शिव चंद
मीणा के हस्ताक्षर

Se. Mgr

(AD/Int)

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर आरटीपीपी एक्ट/रूल्स के 2012 की किन नियमों/प्रावधानों के तहत तकनीकी बिड मे सफल रही एजेंसियों के द्वारा वित्तीय बिड मे किए गए संशोधनों को स्वीकार किया गया?
2. इस मामले मे मै. एस.जी. एडवर्डटाईजिंग द्वारा न्यूनतम दर 4.90% दी गयी थी इस फर्म द्वारा अपनी भूल सुधार कर कितनी रेट पर काम करना स्वीकार किया गया?मै. आनवर्ड एडवर्डटाईजिंग के द्वारा न्यूनतम दर 5 % दी गयी थी इस फर्म द्वारा अपनी भूल सुधार कर कितनी रेट पर काम करना स्वीकार किया गया?
3. आखिर किस आधार पर समिति के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा राजस्थान संवाद की प्रिंट मीडिया(सजावटी) विज्ञापन संबंधी कार्य की न्यूनतम औसत दर 7.99% का आंकलन किया गया?जबकि एस.जी. एडवर्डटाईजिंग द्वारा न्यूनतम दर 4.90% दी गयी थी|और तीनों फ़र्मों की भूल सुधार के बाद न्यूनतम दर 6% पायी गयी थी?
4. इस निविदा मे किन किन एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया?
5. मै. चंद्रा ट्रायो सर्विसेज प्रा.लि.,मै. एस.जी. एडवर्डटाईजिंग मै. आनवर्ड एडवर्डटाईजिंग के अलावा और कितनी एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया?उन अन्य एजेंसियों द्वारा ई पोर्टल पर वास्तविक दर कितनी भरी थी?उनके द्वारा अपनी भूल सुधार कर कितनी न्यूनतम दर पर काम करना स्वीकारा गया?
6. नेगोशिएशन के बाद इस निविदा की अंतिम स्वीकृत दर क्या निर्धारित की गयी?
7. यदि ई पोर्टल पर दर्ज रेटों के आधार पर ही यह टेंडर किया जाता तो 5 करोड़ का 4.9% के हिसाब से 24.5 लाख का भुगतान एजेंसियों को किया जाता, 5 करोड़ का 6% के हिसाब से 30 लाख का भुगतान एजेंसियों को किया जाता और 5 करोड़ का 7.99% के हिसाब से 39.95 लाख का भुगतान एजेंसियों को किया जाता,इस प्रकार इस दर को 4.9% से 6% करने पर 5.5 लाख के राजस्व की हानि अथवा इस दर को 4.9 से 7.99 करने पर 15.45 लाख के राजस्व की हानि पहुंचाई गयी है|लाखों रुपयों के इस अतिरिक्त भुगतान का दोषी कौन?
8. कौन है इस गेम का मास्टरमाइंड?आखिर कौन कौन है भ्रष्टाचार के इस खेल मे शामिल?
9. कौनसी एजेंसी करेगी इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच?वित्त विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या और कोई संस्था?
10. क्या वाकई यह निविदा (NIB 915) मात्र 5 करोड़ की थी या फिर इसे 20-25 करोड़ पहुंचाया गया?क्या यह खेल मात्र लाखों का है या फिर करोड़ों का?
11. जब राजस्थान संवाद नामक संस्था अपने आप को लोक प्राधिकरण नहीं मानती और सूचना के अधिकार के तहत आम जन को सूचना नहीं देती है तो फिर यह संस्था लोक प्राधिकरण होने के नाते RTPP ACT 2012 के प्रावधानों की पालना क्यों कर रही है?
12. क्या इस मामले मे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और संबन्धित फ़र्मों से वसूली की जाएगी?
13. आखिर इस खेल को अंजाम देने की कितनी न्योछावर ली गयी है जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा?